

495
21/3/18

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर-पूर्व जिला, कडकडडूमा कोर्ट, दिल्ली।

संख्या...18.76...हिन्दी/उ.पूर्व/क.क.मा/दिल्ली

दिनांक...20/3/18.....

उत्तर-पूर्व जिले के सभी अनुभागो/शाखाओं में अक्टूबर 2017 से दिसम्बर 2017 तक के कार्यकाल में हिन्दी कार्य की त्रैमासिक रिपोर्ट, अध्यक्ष, केन्द्रीय कार्यन्वहन समिति को सूचना हेतु अग्रसरित की जाती हैं।

दीपक जगोत्रा

(दीपक जगोत्रा)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर-पूर्वी जिला
कडकडडूमा न्यायालय परिसर, दिल्ली।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर-पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।

संख्या..1876-82...../हिन्दी/2018/दिल्ली

दिनांक.....20/3/18

सेवा में,
माननीय अध्यक्ष महोदय,
केन्द्रीय हिन्दी कार्यावहन समिति,
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

माध्यम: जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर-पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।

विषय: उत्तर-पूर्व जिले के सभी अनुभागों/ शाखाओं में अक्टूबर 2017 से दिसम्बर 2017 तक के कार्यकाल की त्रैमासिक रिपोर्ट के संबंध में।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) की केन्द्रीय हिन्दी कार्यावहन समिति की बैठक दिनांक 15.12.2017 के निर्णयानुसार उत्तर-पूर्व जिले के सभी अनुभागों/ शाखाओं को परिपत्र संख्या 1668-1680/हिन्दी/2018 के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि सभी अनुभाग/ शाखाएँ अक्टूबर 2017 से दिसम्बर 2017 तक के कार्यकाल में हिन्दी में किये गये कार्य का ब्योरा हिन्दी विभाग को प्रेषित करें। सभी अनुभागों/ शाखाओं द्वारा हिन्दी विभाग को प्रेषित रिपोर्ट निम्न प्रकार से प्राप्त हुई जो इस प्रकार से हैं:

- 1. प्रशासनिक अनुभाग:** प्रशासनिक अनुभाग में जो भी पत्राचार हिन्दी में प्राप्त हुए हैं, उनका उत्तर-प्रतिउत्तर राजभाषा हिन्दी में ही दिया गया है। व्यक्तिगत पत्राचार राजभाषा हिन्दी के माध्यम से ही दिया गया है, यदि वह राजभाषा हिन्दी से संबंधित है। सूचना अधिकार नियम के अन्तर्गत जो प्रार्थना पत्र हिन्दी में प्राप्त होते हैं, उनका उत्तर-प्रतिउत्तर राजभाषा हिन्दी में ही दिया गया है।
- 2. सामान्य शाखा:** सामान्य शाखा जो भी पत्र एवं शिकायत पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए हैं, उनका उत्तर राजभाषा हिन्दी में ही दिया गया है। जो पत्र एवं शिकायत पत्र सामान्य जनता द्वारा प्राप्त हुए हैं उनका उत्तर राजभाषा हिन्दी के माध्यम से ही दिया गया है। इसके अलावा सामान्य शाखा ने हिन्दी की मुहरें बनवाई हैं। पत्रों जो हिन्दी से संबंधित हैं उनका उत्तर-प्रतिउत्तर राजभाषा हिन्दी में ही दिया गया है। व्यक्तिगत पत्राचार राजभाषा हिन्दी के माध्यम से ही दिया गया है।
- 3. न्यायिक विभाग:** न्यायिक विभाग में सभी पत्र व्यवहार जैसे कि अवकाश पत्र आदि पत्रों को राजभाषा हिन्दी में प्रेषित किया जाता है। जो भी पत्र एवं रिपोर्ट हिन्दी में प्राप्त हुई हैं, उनका उत्तर राजभाषा हिन्दी में ही दिया गया है। सूचना अधिकार नियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र जो हिन्दी से संबंधित हैं उनके उत्तर हिन्दी भाषा में ही दिये जाते हैं। न्यायिक विभाग ने यह सुझाव दिया है कि सभी अनुभागों/ शाखाओं में सभी कर्मचारियों को हिन्दी भाषा में कार्य करने हेतु सहायता के लिए हिन्दी शब्दावली उपलब्ध करवाना चाहिए।
- 4. अवकाश विभाग:** अवकाश विभाग द्वारा प्राप्त सभी परिपत्रों को हिन्दी में ही अवलोकित एवं अग्रसरित करवाया गया

अतिरिक्त
20/3/18

हैं। प्रार्थना पत्रों पर आपत्ति टिप्पणी हिन्दी में ही की गई हैं। व्यक्तिगत पत्राचार भी हिन्दी में ही किया गया है। अवकाश विभाग ने यह सुझाव दिया है कि सभी अवकाश पत्र से संबंधित आदेश हिन्दी भाषा में ही निकाले जाए।

5. **देख-रेख विभाग:** सभी नामपट्टिकाएँ हिन्दी एवं अंग्रेजी द्विभाषी बनवाई गई हैं। ज्यादातर पत्राचार हिन्दी भाषा में ही किया गया है। व्यक्तिगत पत्राचार भी हिन्दी में ही किया गया है।

6. **लेखा विभाग:** लेखा विभाग भी हिन्दी में कार्य करने हेतु कर्तव्यबद्ध है। लेखा विभाग की उपस्थिति पंजिका हिन्दी भाषा में बनायी गयी है। सभी अवकाश पत्र हिन्दी में भेजे गए हैं। छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम आवेदन हिन्दी भाषा में ही किया गया है। व्यक्तिगत पत्राचार भी हिन्दी में ही किया जाता रहा है।

7. **सतर्कता शाखा एवं खरीद शाखा:** सतर्कता शाखा एवं खरीद शाखा में जो भी पत्राचार हिन्दी में प्राप्त हुए है, उनका उत्तर-प्रतिउत्तर राजभाषा हिन्दी में ही दिया गया है। व्यक्तिगत पत्राचार राजभाषा हिन्दी के माध्यम से ही दिया गया है, यदि वह राजभाषा हिन्दी से संबंधित है। सूचना अधिकार नियम के अन्तर्गत प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों जो हिन्दी से संबंधित हैं उनका उत्तर-प्रतिउत्तर राजभाषा हिन्दी में ही दिया गया है।

9. **कम्प्यूटर विभाग:** कम्प्यूटर विभाग में सभी कर्मचारियों ने अपनी छुट्टियाँ, पदभार ग्रहण पत्र, स्थानान्तरण पत्र, छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम आवेदन, मेडिकलेम आदि सभी पत्र राजभाषा हिन्दी भाषा ही दिया गया है। कम्प्यूटर विभाग द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि नियमित अंतराल पर सभी कर्मचारियों को हिन्दी भाषा में कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण दिया जाए।

8. **हिन्दी विभाग:** हिन्दी विभाग में राजभाषा हिन्दी में समय-समय पर परिपत्रों के माध्यम से हिन्दी भाषा को प्रोत्साहित किया गया है। सामान्य शाखा, प्रशासनिक अनुभाग, जन सूचना अधिकार विभाग, नजारत शाखा, लेखा विभाग आदि शाखाओं से ज्यादातर पत्राचार हिन्दी भाषा में ही किया गया है। व्यक्तिगत पत्राचार भी हिन्दी में ही किया गया है। प्राप्त पत्रों का हिन्दी अनुवाद प्रारम्भ हो चुका है। समय-समय पर हिन्दी की बैठको का आयोजन करवाया जा रहा है, तथा कार्यवृत्त हिन्दी कार्यन्वयन समिति, तीस हजारी न्यायालय को भेजी जा चुके हैं। केन्द्रीय जिला तीस हजारी न्यायालय से प्राप्त परिपत्रों का अनुसरण किया जा रहा है। जिले के ज्यादातर कम्प्यूटर में हिन्दी इनस्क्रिप्ट लिपि इनस्टाल किया जा चुका है। हिन्दी कार्यन्वयन समिति तीस हजारी न्यायालय से हिन्दी अतिरिक्त कार्यभत्ता के विषय में स्पष्टीकरण हेतु प्रार्थना पत्र भेजा ज्यादातर पत्राचार हिन्दी भाषा में ही किया गया है। व्यक्तिगत पत्राचार भी हिन्दी में ही किया गया है जा चुका है। हिन्दी विभाग की तरफ से सुझाव इस प्रकार से है कि सभी कर्मचारियों को हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए।

9. **जन सूचना अधिकार विभाग:** जन सूचना अधिकार विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी इस प्रकार से है कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों का अंग्रेजी उत्तर हिन्दी विभाग, उत्तर-पूर्व को अग्रसरित कर दिया जाता है। हिन्दी विभाग उत्तर राजभाषा हिन्दी में अनुवादित कर के पुनः जन सूचना अधिकार विभाग को प्रेषित कर देता है। इस प्रकार सामान्य जनता को सरलतापूर्वक की उपस्थिति पंजिका हिन्दी भाषा में बनायी गयी है। सभी अवकाश पत्र हिन्दी में भेजे गए हैं। अपनी समस्याओं को

अमित्या
28/3/18

समाधान प्राप्त हो जाता है। व्यक्तिगत पत्राचार राजभाषा हिन्दी के माध्यम से ही दिया गया है।

10. अंकेक्षण विभाग: अंकेक्षण विभाग की उपस्थिति पंजिका हिन्दी भाषा में बनायी गयी है। सभी अवकाश पत्र हिन्दी में भेजे गए हैं तथा जो भी पत्राचार हिन्दी में प्राप्त हुए हैं, उनका उत्तर-प्रतिउत्तर राजभाषा हिन्दी में ही दिया गया है। ज्यादातर पत्राचार हिन्दी भाषा में ही किया गया है। व्यक्तिगत पत्राचार भी हिन्दी में ही किया गया है।

11. नजारत शाखा: नजारत शाखा ज्यादातर पत्राचार हिन्दी भाषा में ही किया गया है। व्यक्तिगत पत्राचार भी हिन्दी में ही किया गया है। सभी न्यायालय संबंधी पत्रों, समन, लिफाफों पर राजभाषा हिन्दी में ही रिपोर्ट की जाती है। नजारत शाखा ने भी हिन्दी प्रशिक्षण अनिवार्य करने का सुझाव दिया है।

12. प्राप्ति एवं वितरण शाखा: प्राप्ति एवं वितरण शाखा में जो भी पत्राचार हिन्दी में प्राप्त हुए हैं, उनका उत्तर-प्रतिउत्तर राजभाषा हिन्दी में ही दिया गया है। व्यक्तिगत पत्राचार राजभाषा हिन्दी के माध्यम से ही दिया गया है, यदि वह राजभाषा हिन्दी से संबंधित है। हिन्दी में प्राप्त पत्रों को रजिस्टर में राजभाषा हिन्दी भाषा में ही लिखा जाता है।

उपरोक्त रिपोर्ट एवं सुझाव उत्तर-पूर्व के सभी अनुभागों/ शाखाओं से प्राप्त विवरण का ही सक्षिप्त रूप है। उत्तर-पूर्व जिले में हिन्दी विभाग हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने हेतु कार्यरत है। भविष्य में हिन्दी भाषा को सभी अनुभागों/ शाखाओं में पूर्ण रूप से प्रयोग किये जाने पर जोर दिया जा रहा है।

अभिषा
(अभिषा रिवत)
20/3/18
नोडल अधिकारी, हिन्दी विभाग
उत्तर-पूर्व, कडकडडूमा कोर्ट,
दिल्ली।

संख्या 1876-82-हिन्दी/2018/दिल्ली

दिनांक 20/3/18

पत्र की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. रीडर, जिला एवं सत्र न्यायालय, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, केन्द्रीय जिला, दिल्ली।
2. निजी सचिव, जिला एवं सत्र न्यायालय, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
3. निजी सचिव, जिला एवं सत्र न्यायालय, उत्तर-पूर्व जिला, कडकडडूमा न्यायालय, दिल्ली।
4. केन्द्रीय हिन्दी कार्यावहन समिति, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
5. नोडल अधिकारी, उत्तर-पूर्वी जिला, कडकडडूमा न्यायालय, दिल्ली।
6. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), उत्तर-पूर्वी जिला, कडकडडूमा न्यायालय, दिल्ली।
7. वेबसाइट समिति, कडकडडूमा न्यायालय, दिल्ली।

अभिषा
(अभिषा रिवत)
20/3/18
नोडल अधिकारी, हिन्दी विभाग
उत्तर-पूर्व, कडकडडूमा कोर्ट,
दिल्ली।